न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः आशाराम डूडी, आर.ए.एस.)

आवेदक

श्री विजयकान्त गौतम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन- जोधपुर

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्त

1. भंवरलाल माली पुत्र श्री मगाराम माली
   निवासी- गोकुलवाडी, शिवगंज, जिला- सिरोही
   (विक्रेता एवं खाद्य कारोबारकर्ता)

फर्मः- मैसर्स मगाराम ओटाजी माली, हलवाई बाजार, शिवगंज, जिला- सिरोही

प्रकरण संख्याः 11/2017

"अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006"

उपस्थितिः अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया, प्रतिवादी अभियुक्त की ओर से

-: निर्णय :- दिनांक 12 सितम्बर, 2018

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री विजयकान्त गौतम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 22.10.2016 को समय 3.00 पी.एम. पर फर्म मैसर्स मगाराम ओटाजी माली, हलवाई बाजार, शिवगंज, जिला- सिरोही पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु पॅहुचा। वहां पर विक्रेता के रुप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व परिचय लिया। दुकान में विक्रेता की हैसियत से भवंरलाल माली पुत्र श्री मगाराम माली, निवासी- गोकुलवाडी, शिवगंज उपस्थित थे। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त दुकान का निरीक्षण करने पर दुकान की रेक में खाद्य पदार्थ Refined Groundnut Oil (Super Postman Brand) की एक-एक लीटर की 16 पैक बोतले (प्रत्येक एक-एक लीटर) रखी हुई थी। जिसमें मिलावट व मिथ्याछाप छोने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की सूचना प्रपत्र 5ए में विक्रेता को भरकर दी व प्रपत्र 5ए पर रसीद प्राप्त की। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता व गवाह को यह बता दिया कि यह नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत जांच हेतु खरीद कर रहा हूँ। प्रपत्र 5ए पर मेरे, विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर है जो मूल ही संलग्न है। गवाह के समक्ष विक्रेता को उसके द्वारा बताये गये बाजार भाव से राशि रुपये 560/- नकद अदा कर खाद्य पदार्थ Refined Groundnut Oil (Super Postman Brand) की 4 पैक्ड बोतले (प्रत्येक एक-एक लीटर) खरीदी एवं खरीद रसीद बिल प्राप्त किया जिस पर मेरे, विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर है जो मूल ही संलग्न है। विक्रेता व गवाह के सक्षम उक्त खरीदशुदा खाद्य पदार्थ Refined Groundnut Oil (Super Postman Brand) हेतु

....पेज दो पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

लेबल तैयार किये व लेबल पर कोड एवं सीरीयल नं., दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाह के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् प्रत्येक खरीद शुदा नमूना पैक्ड बोतल पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकांया तथा चारों नमूना भागों को अलग अलग रेफर में लपेटकर अलग अलग कागज में रखकर दोनों किनों को गोंद से चिपकाया और प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोधपुर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप AD-495 को नियमानुसार गोंद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता भंवर लाल माली ने पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई गई, फर्द रिपोर्ट मूल ही संलग्न है। फिर कार्यालय पॅहुच कर फार्म नंबर 6 की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नंबर 6 की एक एक प्रति लगाकर चारो नमूना भागों को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया, मोटे मजबूत धागे से बांधा व नियमानुसार सील चपडी किया। फार्म नंबर 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफावे रखकर सील चपडी से सिल्ड किया एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 24.10.2016 को उक्त नमूनें का एक भाग एवं फार्म नंबर 6 का एक सील्ड लिफावा श्री तेजराम, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की तथा दिनांक 24.10.2016 को शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नंबर 6 का सील बन्द लिफावा अभिहित अधिकारी एवं उपनिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोधपुर को को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो मूल ही संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं उपनिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोधपुर के पत्रांक 682-683 दिनांक 06.12.2016 के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की मूल जांच रिपोर्ट क्रमांक/एल.एस./1241/एक्ट/2016/1270 दिनांक 02.11.2016 प्राप्त हुई जिसके अनुसार खाद्य पदार्थ Refined Groundnut Oil (Super Postman Brand) का नमूना मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। मेरे द्वारा श्री भंवरलाल माली पुत्र श्री मगाराम माली को पत्र दिनांक 09.12.2016 व 20.1.2017 को प्रेषित कर खरीद बिल पेश करने हेतु सूचित किया, लेकिन खरीद बिल पेश नही किया। प्रकरण में अभिहित अधिकारी एवं उपनिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोधपुर ने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन एवं मनन कर अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के समक्ष न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ Refined Groundnut Oil (Super Postman Brand) का विक्रय करके

....पेज तीन पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (**ii**) का उल्लंघन किया है जो धारा- 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। अतः अभियुक्त पर जुर्माना आरोपित किया जावे।

(2) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी अभियुक्त को नोटिस जारी किया जाकर विधिवत तामिल करवाई गई। जिस पर प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया उपस्थित हुये एवं प्रतिवादी अभियुक्त की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया।

(3) प्रकरण में बहस हेतु नियत सुनवाई तिथि 12.9.2018 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नही हुये। अभियुक्तगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने बहस के दौरान लिखित जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पैकड खाद्य पदार्थ का नमूना खरीद किया था जिसको टेम्परविथ करके जांच हेतु भेजा गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूना लेने, सीलबंद करने व जांच हेतु भेजने की कार्यवाही विधिवत नही की है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने हेतु कोई पदार्थ नही डाला है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिवादी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 46(4) के तहत उक्त खाद्य पदार्थ के नमूने की दुबारा जांच हेतु कोई सूचना नही दी जिसके कारण प्रतिवादी उक्त खाद्य पदार्थ की दुबारा जांच के अधिकार से वंचित रहा है। सेम्पल लिया गया खाद्य पदार्थ का निर्माण सितम्बर, 2016 में हुआ है तथा सेम्पल दिनांक 24.10.2016 को लिया गया है जिसकी जांच दिनांक 02.11.2016 को किया जाना बताया है। उक्त खाद्य पदार्थ का सेम्पल सभी मानकों के अनुरुप पाया गया है, केवल लेबल पर ingredients की सूची अंकित नही होने के आधार पर यह प्रकरण प्रतिवादी के विरुद्ध प्रस्तुत किया है जो गलत है। उक्त खाद्य पदार्थ रिफाईण्ड ग्राउंडनट ऑयल ही होने से ingredients की सूची दिया जाना आवश्यक नही है, इसलिये प्रस्तुत परिवाद को खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि आवेदक श्री विजय कांत गौतम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 22.10.2016 को समय 3.00 पी.एम. पर दौरानें गश्त चैकिंग मैसर्स मगाराम ओटाजी माली, हलवाई बाजार, शिवगंज पर गये। उक्त दुकान में विक्रेता की हैसियत से भंवरलाल माली पुत्र श्री मगाराम माली, निवासी- गोकुलवाडी, शिवगंज उपस्थित मिले। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त दुकान का निरीक्षण करने पर दुकान की रेक में खाद्य पदार्थ Refined Groundnut Oil (Super Postman Brand) की 16 पैक्ड बोतलें (प्रत्येक एक-एक लीटर) आम जनता के विक्रय हेतु रखी हुई थी। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ Refined Groundnut Oil (Super Postman Brand) का निरीक्षण करने पर मिलावट व मिथ्याछाप होने का शक होने पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के

.....पेज चार पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही--307001.

तहत जांच हेतु नमूना क्रय करने की सूचना विक्रेता भंवर लाल माली को गवाहान के समक्ष प्रपत्र संख्या 5ए में भरकर दी एवं प्रपत्र 5ए पर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा गवाहान के समक्ष विक्रेता भंवर लाल माली को बाजार भाव से राशि रुपये 560/- (अक्षरे रुपये पांच सौ साठ मात्र) नकद अदा कर खाद्य पदार्थ Refined Groundnut Oil (Super Postman Brand) की 4 पैक्ड बोतलें (प्रत्येक एक-एक लीटर) क्रय की एवं खरीद रसीद बिल प्राप्त किया। प्रपत्र संख्या 5ए, नमूना खरीद रसीद बिल मूल ही न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है जिन पर विक्रेता भंवर लाल माली एवं गवाहान श्री धरमाराम पुत्र नेथाजी कुम्हार, निवासी- अरठवाडा, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही एवं श्री किशन सिंह, वाहन चालक, कार्यलय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोधपुर तथा आवेदक श्री विजयकान्त गौतम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने गवाहान के समक्ष मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं उप निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जोधपुर के कोड एवं क्रमांक AD-495, दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि अंकित कर प्रत्येक लेबल पर विक्रेता भंवर लाल माली एवं उक्त गवाहान के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवदेक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य पदार्थ Refined Groundnut Oil (Super Postman Brand) की चारों खरीद शुदा पैक्ड नमूना बोतलों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया और चारों नमूनों भागों को अलग अलग कागज में लपेट कर दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी एवं उप निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जोधपुर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप AD-495 को नियमानुसार गोद से चिपकया व प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता भंवर लाल माली व उक्त गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये और आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने स्वयं हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् उक्त चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे/जापते में लिया व मौके पर मौका फर्द तैयार की। मौका फर्द रिपोर्ट पर विक्रेता भंवर लाल माली एवं उक्त गवाहान तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवेदक श्री विजयकान्त गौतम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ क्रय का बिल, रसीद एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत मैसर्स मगाराम ओटाजी माली, हलवाई बाजार, शिवगंज में विक्रेता एवं खाद्य कारोबारकर्ता भंवर लाल माली से खाद्य पदार्थ Refined Groundnut Oil (Super Postman Brand) का नमूना जांच हेतु क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है।

तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पॅहुचकर फार्म नम्बर-6 की प्रतियां तैयार की एवं उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर-6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व धागे

...पेज पांच पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

से बांधकर सील चपडी किया। फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में रखकर लिफाफे को सील चपडी से सिल्ड किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 24.10.2016 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नम्बर-6 का एक सील बन्द लिफावा श्री तेजाराम, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई जो पत्रावली पर उपलब्ध है एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की नमूना प्राप्ति की रसीद अंकित है। साथ ही, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 24.10.2016 को नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग मय फार्म नम्बर- 6 को अभिहित अधिकारी एवं उप निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जोधपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। प्रकरण में उक्त खाद्य पदार्थ Refined Groundnut Oil (Super Postman Brand) के नमूना संख्या AD-495 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./1241/Act/2016/1270 दिनांक 02.11.2016 के अनुसार आवेदक श्री विजयकान्त गौतम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स मगाराम ओटाजी माली, हलवाई बाजार, शिवगंज में खाद्य कारोबारकर्ता व विक्रेता भंवर लाल माली से वास्ते नमूना जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ Refined Groundnut Oil (Super Postman Brand) का नमूना मिथ्याछाप (Misbranded) होना पाया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट है कि अभियहित अधिकारी एवं उपनिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोधपुर के पत्र क्रमांक/एफ.एस.एस.ए./2016/एडी-495/682-683 दिनांक 06.12.2016 के द्वारा श्री भंवर लाल माली पुत्र श्री मगाराम, मैसर्स मगाराम ओटाजी माली, हलवाई बाजार, शिवगंज को खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट की प्रति प्रेषित कर यह सूचित किया गया है कि यदि उक्त जांच से संतुष्ट नही हो तो रेफरल लेब से जांच करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करे, लेकिन भंवर लाल माली ने पुनः जांच कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत नही किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रकरण की अनुसंधान के दौरान विक्रेता एवं खाद्य कारोबारकर्ता भंवर लाल माली ने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त खाद्य पदार्थ Refined Groundnut Oil (Super Postman Brand) को क्रय करने का बिल प्रस्तुत नही किया तथा न ही इस न्यायालय में उक्त खाद्य पदार्थ क्रय करने का बिल प्रस्तुत किया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य साबित है कि मैसर्स मगाराम ओटाजी माली, हलवाई बाजार, शिवगंज में विक्रेता भंवर लाल माली द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ Refined Groundnut Oil (Super Postman Brand) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा- 2(ii) का उल्लंघन किया है जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की

....पेज छः पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

धारा 52 के तहत प्रतिवादी अभियुक्त भंवर लाल माली पुत्र श्री मगाराम माली, निवासी- गोकुलवाडी, शिवगंज, जिला- सिरोही, विक्रेता एवं खाद्य कारोबारकर्ता, मैसर्स मगाराम ओटाजी माली, हलवाई बाजार, शिवगंज, जिला- सिरोही पर राशि रुपये 15,000/- (अक्षरे रुपये पन्द्रह हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। साथ ही, उक्त भंवर लाल माली पुत्र श्री मगाराम माली, निवासी- गोकुलवाडी, शिवगंज, जिला- सिरोही, विक्रेता एवं खाद्य कारोबारकर्ता, मैसर्स मगाराम ओटाजी माली, हलवाई बाजार, शिवगंज, जिला- सिरोही को आदेशित किया जाता है कि वह उक्तानुसार जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही